रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2008/फाल्गुन 28, 1929

No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2008/PHALGUNA 28, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2008

सा.का.नि. 187 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये, उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में,—

(क) नियम 7 में, उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन ज्येष्ठ काल वेतनमान और अकृत्यिक वेतनमान (12,000-16,500 रु.) में पद पर प्रोन्नति की दशा के सिवाय 'चयन' द्वारा किया जाएगा। इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन सम्यक् रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर समग्र कार्यपालन, अनुभव और किसी अन्य संबंधित विषय को ध्यान में रखते हुए, अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में ज्येष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति की जाएगी और अकृत्यिक वेतनमान में प्रोन्नति 'अचयन' के आधार पर की जाएगी।" ।

(ख) अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची - 1

(नियम 4 का उपनियम (1) देखिए)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों के नाम, संख्या और वेतनमान ।

क्रम सं.	श्रेणी	पदों की संख्या*	वेतनमान
1.	प्रमुख इंजीनियर	2*	22,400-525-24,500/- रु.
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	22*	18,400-500-22,400/- रु.
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	143*	14,300-400-18,300/- रु.
4.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अकृत्यिक)	**	12,000-375-16,500/- रु.
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान	347*	10,000-325-15,200/- रु.
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान	615*	8,000-275-13,500/- रु.

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

** ज्येष्ठ काल वेतनमान (अकृत्यिक) अकृत्यिक श्रेणी है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों के तीस प्रतिशत के बराबर है (अर्थात् काडर में ज्येष्ठ काल वेतनमान और ऊपर के स्तर पर सभी ड्यूटी पद) । अकृत्यिक श्रेणी (12,000-375-16,500/- रु.) में प्रचालित किए जाने वाले पदों की संख्या को आगे ज्येष्ठ काल वेतनमान (10,000-325-15,200/- रु) में उपलब्ध पदों की संख्या तक सीमित किया जाएगा ।

(ग) अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची - 2

(नियम 7 का उपनियम (2) (i) देखिए)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित कनिष्ठ वेतनमान में समूह 'क' पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा ।

(1) किसी अभ्यर्थी के पास इंजीनियरी में निम्नलिखित डिग्री होगी :-

(i) भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन घोषित कोई सम विश्वविद्यालय ; या

(iii) ऐसी अन्य अर्हताएं जिन्हें परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ; या

(iv) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं से तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, इंजीनियरी में कोई डिग्री या डिप्लोमा ; या

(v) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्था परीक्षाओं का खंड क और खंड ख उत्तीर्ण ; या

(vi) इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक एंड टेलीक्मयुनीकेशन इंजीनियर्स (इंडिया) की स्नातक सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण ; या

(vii) ऐरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की सहयोजित सदस्यता परीक्षा भाग 2 और भाग 3/ खंड क और खंड ख उत्तीर्ण ; या

(viii) नवंबर 1959 के पश्चात् हुई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड रेडियो इंजीनियर्स, लंदन की स्नातक सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण ।

टिप्पण 1 :- आपवादिक दशाओं में, आयोग उपरोक्त कोई अर्हता न रखने वाले किसी अभ्यर्थी को, शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त समझ सकेगा परंतु यह तब जब कि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं जिनका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है ।

टिप्पण 2 :- ऐसा अभ्यर्थी भी, जो किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कोई डिग्री लेने के कारण अन्यथा अर्हता प्राप्त है जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है, आयोग को आवेदन कर सकेगा और आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में बैठ सकेगा ।

(2) उस वर्ष की पहली अगस्त को, जिसमें परीक्षा ली जाती है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ।

(घ) अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची - 3

(नियम 7 का उपनियम (2) और (3) का खंड (ग) देखिए)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगली निम्नतर श्रेणी में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता ।

क्रम सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	प्रमुख इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (18,400-22,400रु.) में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (14,300-18,300रु.) में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ काल वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नए अकृत्यिक (12,000-16,500रु.) वेतनमान में (जिसमें सेवा सम्मिलित है) नौ वर्ष नियमित सेवा की है ।

4.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अकृत्यिक)		ज्येष्ठ काल वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ काल वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है ।
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (क) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ।	आकाशवाणी/ दूरदर्शन के ऐसे सहायक इंजीनियर (उनको अपवर्जित करते हुए जो सिविल निर्माण खंड में है) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(ङ) अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची - 4

(नियम 7 का उपनियम (4) देखिए)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित समूह 'क' पदों की प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ।

क्रम सं.	पद का नाम	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
1.	प्रमुख इंजीनियर	1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य	लागू नहीं होता
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य	लागू नहीं होता
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी - सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन - सदस्य	लागू नहीं होता
4.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अकृत्यिक)	1. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी - सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन - सदस्य	लागू नहीं होता

5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान	1. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी/ दूरदर्शन - अध्यक्ष 2. उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी/ दूरदर्शन - सदस्य	लागू नहीं होता
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान	1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी - सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन - सदस्य	1. प्रमुख इंजीनियर - अध्यक्ष 2. उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 3. मुख्य इंजीनियर - सदस्य

टिप्पण 1 :- यदि क्रम संख्या 5 और क्रम संख्या 6 के क्रमशः ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष आकाशवाणी का प्रमुख इंजीनियर है तो मुख्य इंजीनियर जो उस समिति का सदस्य है दूरदर्शन से और विपर्ययेन होगा ।

टिप्पण 2 :- आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य से भिन्न सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने उसकी बैठक में भाग लिया है ।

टिप्पण 3 :- यदि ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक के या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम नहीं है और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । तथापि यह उपबंध 12,000-16,500 रू. के वेतनमान में ज्येष्ठ काल वेतनमान (अकृत्यिक) में प्रोन्नति के लिए लागू नहीं होगा ।

टिप्पण 4 :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-वी (डी) सा.का.नि. 578 (अ) तारीख **4.11.81** द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :-

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-वी (डी), सा.का.नि. 357 (अ), तारीख 13.9.82

(ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/14/85-बी (डी), सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 6.9.86

(iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 (i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना तारीख 14.9.87

(iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 (i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना तारीख 21.10.87

[फा. सं. 501/4/2006-बीए(ई)]

जोहरा चैटर्जी, संयुक्त सचिव

1015 GI/08-2

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2008

G.S.R. 187(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Amendment) Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981:-

   (a) in rule 7, for sub rule (4), the following sub rule shall be substituted , namely :-

" (4) The selection of officers for promotion shall be made by 'Selection' except in the case of promotion to the post in Senior Time Scale and Non - Functional Pay Scale (Rs.12000-16500). Promotion to the Senior Time Scale shall be made in the order of seniority subject to the rejection of unfit and promotion to Non - Functional Pay Scale shall be made on the basis of 'Non-Selection' taking into account the overall performance, experience and any other related matters, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, duly constituted under Schedule IV of these rules ".

(b) for Schedule-I, the following Schedule shall be substituted namely:-

"SCHEDULE - I

(See sub rule (I) of rule 4)

Name, Number and Scale of Pay of Duty Posts included in the various Grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S.No.	Grade	Number of Posts*	Scale of Pay
1.	Engineer-in-Chief	2 *	Rs. 22,400-525-24,500/-
2.	Senior Administrative Grade	22 *	Rs. 18,400-500-22,400/-
3.	Junior Administrative	143 *	Rs.14,300-400-18,300/-

4.	**Senior Time Scale(Non-functional)**	**	**Rs. 12000-375-16,500/-**
5.	**Senior Time Scale**	**347 ***	**Rs.10,000-325-15200/-**
6.	**Junior Time Scale**	**615 ***	**Rs. 8000-275-13,500/-**

* Subject to variation dependent on workload

** Senior Time Scale (Non-functional) is non-functional grade and the maximum number of posts in this grade shall be equal to 30 Percent of the senior duty posts (i,e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Cadre). The number of posts to be operated in the non-functional grade (Rs.12,000-375-16500/-) will be further limited to the number of posts available in Senior Time Scale (Rs.10,000-325-15,200/-)".

(C) for Schedule –II , the following schedule shall be substituted ,namely:-

" SCHEDULE-II

(See sub rule (2) (i) of rule 7)

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in Group 'A' in the Junior Scale included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service on the results of the Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

A candidate shall possess:-

(1) A Degree in Engineering from:-

(i) a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India; or

(ii) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be a deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 ; or

(iii) possessing such other qualifications as have been recognized by Government for the purpose of admission to the examination; or

(iv) a Degree or Diploma in Engineering from such foreign Universities , Colleges or Institutions and under such conditions as may be recognized by Government for the purpose from time to time ; or

(v) passed Section A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or

(vi) passed graduate Membership Examination of the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (India); or

(vii) passed Associate Membership Examination Parts II and III/Sections A and B of the Aeronautical Society of India; or

(viii) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959.

NOTE: 1. In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing any of the above qualifications as educationally qualified; provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other Institutions, the standard of which , in the opinion of the Commission, justifies his admission to the Examinations.

NOTE: 2. A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a degree from a foreign University which is not recognized by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission .

(2) Attainted the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years as on first day of August of the years in which the examination is held. ".

(d) for Schedule III, the following Schedule shall be substituted namely:-

"Schedule-III

(See clause (C) of sub-rule (2), and (3) of rule 7)

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

Sl. No	Grade	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
1	2	3	4
1.	Engineer-in- Chief	By promotion	Officers in the Senior Administrative Grade (18400-22400) with 3 years regular service in the grade.
2.	Senior Administrative Grade	By promotion	Officers in the Junior Administrative Grade (Rs.14300-18300/-) with 3 years regular service in the grade.
3.	Junior Administrative Grade	By promotion	Officers in Senior Time Scale with 9 years of regular service (including service) rendered in the new Non-functional pay scale of

4. Senior Time Scale (Non-functional)		Officers in the Senior Time Scale with 5 years regular Service in the grade.
5. Senior Time Scale	By promotion	Officers in the Junior Time Scale with 4 years regular service in the grade.
6. Junior Time Scale	(i) 50% by Promotion (ii) 50% by direct recruitment in accordance with clause (a)of 'sub-rule(2) of rule 7.	Assistant Engineers of the All India Radio/ Doordarshan (excluding those in Civil Construction Wing) with 5 years regular service in the grade.

(e) for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE IV"

(See sub-rule (4) of rule (7)

Composition of Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S.No.	Name of the Post	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Promotion)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation)
1	2	3	4
1.	Engineer-in-Chief	1. Chairman/Member UPSC-Chairman 2. Secretary, M/o Information and Broadcasting - Member 3. DG, All India Radio – Member 4. DG: Doordarshan - Member	Not Applicable
2.	Senior Administrative Grade	1. Chairman/Member UPSC -Chairman 2. Secretary, M/o Information and Broadcasting - Member 3. DG, All India Radio - Member 4. DG: Doordarshan - Member	Not Applicable

3. Junior Administrative Grade	1. Chairman/Member UPSC-Chairman 2. Joint Secretary, M/o Information and Broadcasting - Member 3. Engineer-in- Chief, All India Radio - Member 4. Engineer-in- Chief: Doordarshan - Member	Not Applicable
4. Senior Time Scale (Non-functional)	1. Jt. Secretary, M/o Information and Broadcasting - Chairman 2. Chief Engineer AIR - Member 3. Chief Engineer Doordarshan - Member	—
5. Senior Scale	1. Engineer-in Chief (AIR/DD) Chairman 2. Deputy Secretary M/o Information and Broadcasting Member 3. Chief Engineer AIR/DD Member	Not Applicable
6. Junior Scale	1. Chairman/Member – Chairman Union Public Service Commission 2. Joint Secretary - Member M/o Information and Broadcasting 3. Engineer-in-Chief, – Member AIR 4. Engineer-in-Chief, - Member Doordarshan	1. Engineer-in-Chief - Chairman 2.Dy.Secy. -Member M/o information and Broadcasting 3. Chief Engineer -Member

Note : 1 :-In case the chairman of Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation to Senior Scale and Junior scale post at Serial No. 5 and 6 respectively, is Engineer-in- Chief of All India Radio, then the Chief Engineer, who is member of the same committee would be from Doordarshan and vice –versa.

Note: 2. The absence of Member, other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

Note 3. Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years,

whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. However, this provision will not be applicable for promotion to Senior Time Scale (Non-functional) in the pay scale of Rs. 12000-16500/-.

Note: 4. The principal rules were published in the gazette of India Extraordinary Part-ii Section 3(i), dated 5.11.81 vide Government Notification. Ministry of I&B No. 301/1/81-B(D), GSR 578 (E), dated 4.11.81 and were subsequently amended by:-

- **I. Government Notification No. 301/1/81-B(D), G.S.R. 573 (E), dated 13.9.82 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3 (i)**
- **II. Government Notification No. 301/14/85-B(D) GSR 725 dated 6.9.86, published in the Gazette of India Part-II Section 3 (i)**
- **III. Government Notification dated 14.9.87 published in the Gazette of India, Part-II Section 3 (i)**
- **IV. Government Notification dated 21.10.87 published in the Gazette of India, Part-II Section 3 (i)**

[F. No. 501/4/2006-BA(E)]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.